

No.6-4/2013-SPG
Government of India
Ministry of Communications and I.T.
Department of Posts

Dak Bhawan, Parliament Street,
New Delhi-110001
Dated the 18th March, 2015

To
The Chief Postmaster General,
All Circles/ All Head of Units
Department of Posts

Subject: Recruitment Rules for the posts of (i) Manager; and (ii) Senior Manager
(iii) Senior Manager (NFSG) in Mail Motor Service, D/o Posts - reg.

Madam/Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Department of Posts, Mail Motor Service, Senior Manager (NFSG), Senior Manager and Manager Recruitment Rules, 2015 notified in the Gazette of India on 18th Feb., 2015 for information and record.

Yours faithfully,

Encl : As above

Manoj Sharma
(Manoj Sharma)

Assistant Director General (SGP)

Copy forwarded for information and necessary action to :

1. Lok Sabha Secretariat / Rajya Sabha Secretariat.
2. The Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi w.r.t. their letter No 3/21A(4)/2014-RR dated 28.10.2014.
3. M/o Law and Justice (Legislative Department), Shastri Bhavan, New Delhi
4. Department of Personnel & Training, North Block, New Delhi
5. General Manager, CEPT - With a request to upload the order in India Post Website.
6. Guard File
7. Concerned Sections, Department of Posts, Dak Bhawan, New Delhi

Ajay Raj Singh Chauhan
[AJAY RAJ SINGH CHAUHAN]
SECTION OFFICER [SPG]



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 18, 2015/माघ 29, 1936

No. 102]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 18, 2015 /MAGHA 29, 1936

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 109(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए और डाक विभाग ज्येष्ठ प्रबंधक (मेल मोटर सेवा), भर्ती नियम, 1989 और मेल मोटर सेवा (प्रबंधक) भर्ती नियम, 1983 को, उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, डाक विभाग की मेल मोटर सेवा में ज्येष्ठ प्रबंधक (गैर-कार्यात्मक चयन ग्रेड), ज्येष्ठ प्रबंधक और प्रबंधक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ —

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग, मेल मोटर सेवा, ज्येष्ठ प्रबंधक (अकृत्यिक चयन श्रेणी), ज्येष्ठ प्रबंधक और प्रबंधक भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान :— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं इत्यादि :— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं :— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिए लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. विधिल करने की भाक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखाबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा विधिल कर सकेगी।